


नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत अमरोहा के स्वाभित्वाधीन निम्नलिखित जूनियर हाईस्कूलों से सम्बद्ध कृषि योग्य भूमियों/फर्मों को कृषि कार्य हेतु आगामी तीन वर्ष के लिए सार्वजनिक ठेका नीलाम दिनांक 04.07.2016 को अपराह्न 3:00 बजे से कार्यालय जिला पंचायत अमरोहा में किया जायेगा। प्रत्येक बोलीदाता को नीलाम से पूर्व निम्न विवरणानुसार अग्रिम जमानत जमा करना अनिवार्य होगा। उच्चतम बोलीदाता की बोली यदि उपयुक्त पायी जाती है तो बोली की समस्त धनराशि तत्काल जमा करनी होगी। ठेके का अनुबन्ध पत्र निर्धारित स्टाम्प पेपर पर करना होगा। अन्य शर्तें कार्यदिवस में कार्यालय में देखी जा सकती हैं।

भूमि नीलाम का विवरण निम्नवत् है :-

क्र० सं०	भूमि का विवरण	विकास खण्ड	जमानत राशि
1	जूनियर क्रमोत्तर कन्या पाठशाला, गजस्थल	अमरोहा	10,000.00
2	जूनियर हाईस्कूल मानकजूड़ी भूमि स्थित ग्राम हुसैनपुर	जोया	2,000.00
3	जूनियर हाईस्कूल मानकजूड़ी भूमि स्थित ग्राम मालीपुर	जोया	2,000.00

उपरोक्त तिथि को नीलाम न होने की दशा में पुनः सार्वजनिक नीलाम प्रत्येक सोमवार को निर्धारित समय व स्थान पर किया जायेगा।

  
अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत अमरोहा।

कार्यालय

जिला पंचायत

अमरोहा।


पत्रांक : 943 /सम्पत्ति/2016

दिनांक: 24/06/16

सम्पादक,


धर उजाला एवं हिन्दु तान  
अमरोहा

कृपया उपरोक्त सूचना अपने समाचार पत्र के अगले अंक में कम से कम स्थान एवं लघुत्तम अक्षरों में शासकीय दर पर एक बार प्रकाशित कर भुगतान हेतु बिल में अंकित करें सूचना अधिकारी से प्रमाणित कराकर समाचार पत्र की प्रति सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत अमरोहा।

पत्रांक व दिनांक उपरोक्त।

- प्रतिलिपि: 1- मा० अध्यक्ष महोदया जिला पंचायत की सेवा में उनके आदेश दिनांक 22.06.16 के क्रम में सादर सूचनार्थ।  
2- पुलिस अधीक्षक महोदय की सेवा में इस अनुरोध के साथ कि सुरक्षा व्यवस्था हेतु तद्दिनांक को जिला पंचायत कार्यालय में पुलिस बल की व्यवस्था करने का कष्ट करें।  
3- अभियन्ता, वित्तीय परामर्शदाता, सदस्य नीलाम समिति जिला पंचायत अमरोहा को इस आशय से प्रेषित कि वह तद्दिनांक व समय पर उपस्थित रहकर नीलामी की कार्यवाही सम्पादित करायें।  
✓ 4- प्रभारी अधिकारी एन०आई०सी० को इस आशय से कि जनपद की वेबसाईट पर उक्त सूचना अपलोड कराने का कष्ट करें।  
5- क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/कर निरीक्षक जिला पंचायत अमरोहा को इस आदेश के साथ कि वह मौके पर जाकर निश्चित नीलाम की मुनादी कराते हुये प्रचार-प्रसार करायें।  
6- समस्त पुराने ठेकेदारों को सूचनार्थ।

  
अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत अमरोहा।